

प्रेषक,

गौरव वर्मा  
विशेष सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)  
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन  
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार  
लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 01 सितम्बर, 2020

विषय- कार्यापरांत स्वीकृति (Ex. Post facto) के अंतर्गत जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़-राया मथुरा मार्ग (एस0एच0-80) किमी0 26.320 ग्राम बिसावली के खसरा सं0-537 में एस्सार आर्यल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.075012 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 07 वृक्षों के पातन की अनुमति। (प्रस्ताव सं0-(एफ.पी./यू.पी./अदर्स/13877/2015)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या 209/11-सी/एफ.पी./यू.पी./others /13877/2015, दिनांक 28-8-2019, (प्रति संलग्न) के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यापरांत स्वीकृति (Ex. Post facto) के अंतर्गत जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़-राया मथुरा मार्ग (एस0एच0-80) किमी0 26.320 ग्राम बिसावली के खसरा सं0-537 में एस्सार आर्यल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.075012 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 07 वृक्षों के पातन की अनुमति का प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया है।

2- प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा विषयक प्रकरण में बिना अनुमति प्राप्त किये रास्ते का निर्माण किया गया है, जिस कारण वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन है। अतएव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देश दिनांक 29-01-2018 में विहित व्यवस्थानुसार कार्यापरांत स्वीकृति (Ex. post facto.) की संस्तुति के साथ प्रस्ताव मूल रूप में (एक प्रति) प्रेषित करते हुये अनुरोध है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के तहत अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।  
संलग्नक-यथोपरि (मूल प्रति)

भवदीय,

( गौरव वर्मा )  
विशेष सचिव

संख्या-पी 64(1)/81-2-2020-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
- 3- जिलाधिकारी, अलीगढ़।
- 4- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।
- 5- डिविजनल मैनेजर, एस्सार आयल लि0 ए-5, सं0 3नोएडा।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( डा0 दीपक कोहली )  
संयुक्त सचिव